8 अप्रैल, 2009

कृपया प्रकाशनार्थ

भाजपा नेता और उत्तर मुंबई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा-शिवसेना गठबंधन उम्मीदवार श्री राम नाईक द्वारा बुधवार दिनांक 8 अप्रैल 2009 को पत्रकार परिषद में वितरित वक्तव्य

शरद पवार ने मछुआरों को धोका दिया : राम नाईक

मुंबई, बुधवार :"कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने देश के मछुआरों को धोखा देकर डीजल खरीद पर उनको मिलने वाले एक्साईज डयूटी (अबकारी कर) के रिफंड को रद्द किया गया है. इसका नतीजा चुनाव में न केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस को तो यूपीए को समुद्र किनारे के सभी राज्यों में भुगतना पडेगा." ऐसी टिप्पणी भाजपा नेता व भाजपा-शिवसेना गठबंधन के उत्तर मुंबई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार श्री राम नाईक ने आज मुंबई में की. मछुआरों को डिजल पर मिलने वाली यह रियायत अब सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले मछुआरों को ही देने का केंद्र सरकार का निर्णय फिलहाल मिल रही रियायत रद्द करने के ही बराबर है. यह एक 'तुघलकी' निर्णय है और मत्स्य उत्पादन में आये अकाल, महंगाई और मंदी की मार से पहले से ही त्रस्त मछुआरों के घावों पर नमक छिडकने जैसा है, ऐसा भी श्री राम नाईक ने अपना वक्तव्य देते हुए बताया.

मछुआरों को डीजल की एक्साईज डयूटी पर रियायत की दर और बढाने, कम व्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराने तथा अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में कृषि मंत्री श्री शरद पवार को पहली बार श्री राम नाईक ने वर्ष 2007 में पत्र लिखा था. 23 अक्टूबर, 2007 को इस संबध में प्रत्यक्ष चर्चा भी की थी. इस संबध में हो रही प्रगती की लगातार जानकारी लेने का, बार-बार श्री पवार को याद दिलाने का काम भी श्री नाईक करते रहे. इस संदर्भ में अंतिम स्मरण पत्र 20 फरवरी, 2009 को भेजा गया. परंतु मछुआरों के इन सभी समस्याओं के संबंध में कृषि मंत्री श्री शरद पवार और यूपीए की केंद्र सरकार ने न केवल निराशाजनक अपितु भडकाऊ निर्णय लिये हैं. इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए श्री नाईक ने आगे कहा " प्रा. मधु दंडवते जब वित्त मंत्री थे तब लोकसभा में बजट पर चर्चा करते समय मैंने मछुआरों का प्रश्न उठाया था. उस समय सन 1990 में छोटे मछुआरों के मदद के तौर पर डीजल पर लगने वाले अबकारी कर (एक्साईज डयूटी) मे प्रतिलीटर 35 पैसे का रिफंड दिये जाने की घोषणा उन्होंने की थी. श्री राजनाथ सिंह जब कृषि मंत्री

थे और मैं पेट्रोलिय मंत्री था तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए यह अबकारी कर (एक्साईज डयूटी) का रिफंड बढ़ाकर रु.1.50 किया गया. बाद में यूपीए की सरकार आने पर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बेहिसाब वृध्दि हुई. ऐसे में देश में मच्छियों के अकाल का सामना भी मछुआरों को करना पड़ रहा है जिससे उनकी मुसीबतें और बढ़ गई हैं. इसीलिए मंहगें डीज़ल पर यदि रु. 4/- की छूट मछुआरों को मिले तो उन्हें कुछ राहत मिलेगी ऐसी मांग मछुआरों के संगठनों की ओर से मैंने की थी. कृषि मंत्री श्री शरद पवार द्वारा इस संबंध में डीजल की एक्साईज डयूटी से मछुआरों को रु. 3/- लौटाने का निर्णय हुआ है, ऐसा मुझे पत्र द्वारा सूचित किया गया है. परंतु वास्तव में यह खबर मछुआरों को राहत देने वाली न होकर उनके जखमों पर नमक छिडकने जैसी है. क्योंकि पहले इसका लाभ सभी छोटे मछुआरों को मिल रहा था तो अब इस रियायत का लाभ सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे के मछुआरों को ही मिलेगा. " एक ही सही, पर छोटी सी नौका का मालिक और वह भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारने वाला मछुआरा श्री शरद पवार मुझे दिखा दें" अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए श्री नाईक ने कहा.

समुद्र में मछली पकड़ने का काम कृषि कार्य ही माना जाता है इसलिए यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है. इसीलिए किसानों की तरह मछुआरों को भी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से चार प्रतिशत की व्याज दर से कर्ज उपलब्ध होना चाहिये ऐसी मांग भी मछुआरों के शिष्ट मंडल ने श्री राम नाईक के माध्यम से की थी. प्रत्यक्ष चर्चा के दौरान इस मांग पर श्री शरद पवार की भूमिका सकारात्मक थी. परंतु पत्र में इसका उल्लेख करते हुए श्री पवार ने सलाह दी है कि मछुआरों को उनकी सहकारी संस्थाओं से कर्ज लेना चाहिये. इन संस्थाओं को एनसीडीसी बाजार भाव से कर्ज उपलब्ध कराती है. वास्तव में मछुआरों की इस मांग को उन्होंने सिरे से नकार दिया है. इस समय उन्हें 12 से 14 प्रतिशत व्याज से कर्ज मिलता है.

समुद्र के पूर्ण आर्थिक क्षेत्र में (एक्सक्लूझिव इमॉनामिक झोन - ईईझेड) परिचालन के लिए फिलहाल कोई भी नियम या कानून अस्तित्व में नही है. इस क्षेत्र में भी कानून का राज हो इसलिए नया कानून बनाये जाने की मांग भी मछुआरों के संगठनों ने की थी. हाल ही में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद तो कम से कम इस मांग की गभीरता कांग्रेस सरकार को समझ में आनी

:: 3 ::

चाहिये थी. परंतु इस विषय में लगातार प्रयत्न किये जाने के बावजूद अभी तक सिर्फ इस संबंध में कानून बनाये जाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श चलने की जानकारी श्री पवार द्वारा दी गयी है. "देश के नागरिकों की सुरक्षा की इस सरकार को रत्ती मात्र चिंता नहीं है, यह इस घटना से सिद्ध होता है" अपना विचार रखते हुए श्री नाईक ने कहा.

सारे देश में अलग-अलग राज्यों में मछुआरों के लिए छोटे बंदरगाहों का नियोजित तरीके से विकास किया जाता है. महाराष्ट्र में भी ठाणे जिले के अर्नाळा सहित मिरकरवाडा (रत्नागिरी), देवगड (आनंदवाडी), साख्रिनाते, हर्णे, करंजा, जीवना, आगरदांडा इन आठ बंदरगाहों का विकास करने की योजना पिछले कई सालों से चर्चा में है. इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लेकर उसपर अंमल करने केलिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग मछुआरों के संगठन करते रहे हैं. परंतु वास्तविक धरातल पर आठ में से केवल देवगड (आनंदवाडी) इस एक बंदरगाह के विकास के लिए ही श्री पवार ने हरी झंडी दिखाई है तो अन्य बंदरगाहों के विकास के लिए अभी तकनीकी अध्ययन पूरा नहीं हुआ है ऐसा श्री शरद पवार ने बताया.

नये सिरे से कार्यान्वित हुए तारापूर अणू ऊर्जा परियोजना के प्रकल्प क्रमांक 3 और 4 के कारण वहां से लगे हुए समुद्र में बड़े पैमाने पर गरम पानी छोड़ा जाता है. इसके कारण मछलियों के प्रजनन पर जबरदस्त विपरीत परिणाम होने की शिकायत वहां के मछुआरो द्वारा की जा रही है. मछली प्रजनन कें विशेषज्ञों को मछुआरों के साथ इस क्षेत्र के अध्ययन के लिए भेजे जाने की मांग भी मछुआरों के संगठनों द्वारा की गई थी. परंतु उस पर अमल न करते हुए पर्यावरण मंत्रालय का यह वक्तव्य कि समुद्र में छोड़ा जाने वाला गरम पानी उसकी निर्धारित सीमा के अनुरुप ही है, को श्री पवार ने उपयुक्त माना है.

"श्री शरद पवार के इस सबंध में लिये गये सभी निर्णयों के कारण महाराष्ट्र के ही नहीं तो सारे देश के मछुआरे युपीए सरकार से नाराज होंगे और मतदान के द्वारा वे सरकार को सबक सिखाएंगे" ऐसी चेतावनी भी अन्त में श्री नाईक ने दी है.

(विनोद शेलार)

प्रचार प्रमुख,

भ्रमणध्वनी 9867689540